छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा   नवम् सत्र   अंक-05

<u>रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020</u>

(पौष-7, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

मानानीय उपाध्यक्ष ने श्री झितरूराम बघेल, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री, सदस्य-सर्वश्री मोहन मरकाम, संतराम नेताम, बघेल लखेश्वर ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए ।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिये संवेदना प्रकट की गई ।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.16 बजे स्थगित की जाकर 11.23 बजे समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से तारांकित प्रश्न संख्या 01 से 04 (कुल 04) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 39 तारांकित एवं 63 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 13-23/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 24 सितम्बर, 2020

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 13-23/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 27 मई, 2020

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 3 जून, 2020

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 26 जून, 2020,

(3) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद बी की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड आठवां का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19,

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

(4) श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020 तक),

(5) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-20 ,

(6) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 43 सन् 1995) की धारा 111 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-19-32/2011/-25-2, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ नियम 2020,

(7) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020, तथा

(8) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017-2018,

पटल पर रखे।

5. पृच्छा

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों ने कर्मचारियों एवं बेरोजगारों की मांगें पूरी नहीं होने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की ।

माननीय सभापति ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया गया है ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण 12.17 बजे स्थगित की जाकर 12.30 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

6. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 33 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि

इनमें से क्रमश: प्रथम तीन ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी । संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

माननीय सभापति ने सूचित किया कि 01 से 03 तक की सूचना ली जावेगी ।

(1) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने जिला राजनांदगांव के नगर पालिका परिषद खैरागढ़ एवं नगर पंचायत छुईखदान क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, नारायण चंदेल, सदस्य ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के नियमितिकरण की कार्यवाही नहीं होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जिला कोरबा एवं अन्य सीमावर्ती जिलों में स्थापित कल कारखानों, उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय सभापति की घोषणानुसार कार्यसूची के पद 4 के उप पद 4 से 33 तक के उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
4.	श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
5.	श्री ननकीराम कंवर
6.	सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर
7.	श्री दलेश्वर साहू
8.	सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर
9.	श्री शिवरतन शर्मा
11.	श्री धर्मजीत सिंह
12.	सर्वश्री धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा
13.	श्री सौरभ सिंह
15.	सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल
16.	सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल
18.	श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
19.	श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
20.	श्री दलेश्वर साहू
21.	श्री संतराम नेताम
22.	सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल
23.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
24.	श्री धर्मजीत सिंह
26.	सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल
27.	सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर
28.	सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा
29.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
30.	श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
31.	श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

32. श्री सौरभ सिंह

33. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

7. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री नारायण चंदेल

(3) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

(4) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(5) श्री गुलाब कमरो

(6) श्री धर्मजीत सिंह

(7) श्री सौरभ सिंह

(8) श्री दलेश्वर साहू

(9) श्री धरमलाल कौशिक

(10) श्री लालजीत सिंह राठिया

(11) श्री डमरूधर पुजारी

(12) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

(13) श्री बघेल लखेश्वर

(14) श्रीमती छन्नीचंदू साहू

(15) श्री रजनीश कुमार सिंह

(16) श्री ननकीराम कंवर

(17) श्री देवव्रत सिंह

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 64, दुर्ग शहर से निर्वाचित सदस्य श्री अरूण वोरा के द्वारा दिसंबर, 2020 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई ।)

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

मानसनीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री बघेल लखेश्वर

(2) श्री धनेन्द्र साहू

(3) श्री पुरुषोत्तम कंवर

10. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज भोजन अवकाश के लिए सभा की बैठक स्थगित होने के बाद समिति कक्ष क्रमांक-1 में राज्य शासन के वर्ष 2021 के कैलेंडर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा । सभी माननीय मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष जी एवं सभी सदस्यगण आमंत्रित हैं ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, मोहन मरकाम

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 31 सन् 2020)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 31 सन् 2020)पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 7 (2) का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय वृद्धि की घोषणा की ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शैलेष पाण्डेय

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 31 सन् 2020) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(1.42 बजे 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

(3) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, सौरभ सिंह

(श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री एवं श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किये ।)

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

(4) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020)

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(5) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, मोहन मरकाम

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(6) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020)

श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य ने सदन का ध्यानाकार्षित किया कि पामगढ़ क्षेत्र के ग्राम कोड़ाघाट, के निवासी संजय खरे के साथ उप निरीक्षक श्री ताम्रकार द्वारा अभद्रता किये जाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली । माननीय सदस्य ने उप निरीक्षक को निलंबित करने का आग्रह किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

12. संकल्प

यह सदन केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि " भारत सरकार के उपक्रम एन.एम.डी.सी. द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला-बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश के नाम पर प्रस्तावित निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त किया जाये "

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, मोहन मरकाम,

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 10 का कार्य एवं अन्य अनौपचारिक कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, संतराम नेताम, सौरभ सिंह, धर्मजीत सिंह, राजमन बेंजाम, अनूप नाग, बघेल लखेश्वर,

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया कि **विनिवेश न किया जावे । विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने को सहमत है ।**

तद्नुसार यह सदन केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम एन.एम.डी.सी. द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जावे । विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने को सहमत है ।

यथा संशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने माननीय सदस्य श्रीमती इन्दू बंजारे द्वारा ध्यानाकर्षित किये जाने के संबंध में सदन को जानकारी दी कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सहायक उप निरीक्षक हरनारायण ताम्रकार को निलंबित करने की घोषणा करते हैं और एफ.आई.आर. करके सबकी जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

13. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री मोहन मरकाम, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 228 के के उप नियम (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार माननीय धर्मजीत सिंह, सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध

संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019 पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

14. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

(1) माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020

(2) माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण विभाग मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 23/2020 दिनांक 23.10.2020

(3) माननीय सदस्य, श्री धनेन्द्र साहू द्वारा श्री कुंभनदास आड़िया एवं श्री अमरीश कुमार आड़िया के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 24/2020 दिनांक 10.11.2020,

माननीय अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है ।

15. नियम 167 (1) के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री मोहम्मद अकबर, विधि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 25/2020 दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 को विचारोपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

16. व्यवस्था

संसदीय सचिवों की स्थिति के संबंध में

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 को संसदीय सचिव के संबंध में पूर्व में आसंदी द्वारा दी गई व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पुन: वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आसंदी का ध्यान आकृष्ट किया था ।

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं माननीय विधि मंत्री ने अपनी बात रखी । विधि मंत्री ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संसदीय सचिव के संबंध में सदन को विस्तार से जानकारी देते हुये स्थिति स्पष्ट कर दी है । मेरे मत में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अत: अब मैं इस प्रकरण को समाप्त करता हूं ।

17. सत्र का समापन

माननीय उपाध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा का यह सत्र 21 दिसम्बर से 30 दिसम्बर के मध्य आहूत था किन्तु आज उसका समापन हो रहा है।

इस सत्र के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सदन में नेता माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय श्री केशव प्रसाद चन्द्रा जी एवं पक्ष प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ । जैसा कि आप अवगत है कि माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय कोविड संक्रमित होने के कारण इस सत्र में उपस्थित नहीं हो पाये किन्तु उनकी अनुपस्थिति में उनके ही मार्गदर्शन में मैंने यथा संभव सदन के सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रयास किया इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय के प्रति और आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ ।

यह सत्र भी पूर्व सत्रों की तरह कोविड से प्रभावित रहा । सुरक्षा के तमाम उपायों को अपनाते हुए हम सबने अपने संसदीय दायित्वों को पूरा किया । मेरा यह विश्वास है कि हमारे इस सामूहिक प्रयास से छत्तीसगढ़ राज्य को और बेहतर दिशा मिलेगी ।

सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सदन में उच्च संसदीय मूल्यों को सुदृढ़ता प्रदान की है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इस सत्र में दिनांक 23 दिसम्बर को शासकीय संकल्प के पारण की प्रक्रिया के दौरान प्रतिपक्ष के

माननीय सदस्यों द्वारा संकल्प के संबंध में उनके आग्रह को स्वीकार किया । निश्चित ही उनकी सहृदयता से सदन का सम्मान बढ़ा है ।

जहां वर्ष 2020 कोविड की कटु स्मृतियों के लिए याद रखा जायेगा, वहीं छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए यह उपलब्धि का विषय है कि वर्ष 2020 में इस विधान सभा के कुल पांच सत्र आहूत हुए और यह संसदीय मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है । इस अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के कार्य में संलग्न डॉक्टर, चिकित्सा स्टॉफ, शासन प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ ।

अब मैं आपको इस सत्र में सम्पादित हुए कार्यों के संबंध में संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा । इस सत्र की कुल 5 बैठकों में लगभग 21 घंटे 25 मिनट चर्चा हुई। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 505 एवं अतारांकित प्रश्नों की 456 इस प्रकार कुल 961 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से 22 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये । स्थगन की कुल 117 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से एक विषय से संबंधित 29 सूचनाओं को सदन में पढ़ने एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् ग्राह्य की गयी तथा एक विषय से संबंधित 16 सूचनाओं पर ग्राह्यता की चर्चा उपरांत उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई तथा एक विषय से संबंधित 44 सूचनायें ध्यानाकर्षण के रूप में परिवर्तित की गई तथा 28 सूचनायें अग्राह्य की गयी । ध्यानाकर्षण की कुल 252 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 67 सूचनाएं ग्राह्य हुईं और 28 सूचनाएं शून्यकाल में परिवर्तित की गईं । शून्यकाल की 52 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 35 सूचनाएं ग्राह्य और 17 सूचनाएं अग्राह्य रही । नियम 139 के अधीन 2 सूचनायें प्राप्त हई एवं ग्राह्य की गईं । इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 7 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और सभी चर्चा उपरांत पारित हुए । वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर 4 घंटे 18 मिनट चर्चा हुई।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया । मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया।

इस अवसर पर मैं राज्य शासन के नव नियुक्त मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन को भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलेगा, इसके साथ ही शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र के दौरान कायम रखी । मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की परम्परा रही है, तद्नुसार आगामी बजट सत्र फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

आने वाले नये वर्ष की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी से यह सादर आवाह्न करता हूँ कि आइये हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाने का पुनीत संकल्प लें।

धन्यवाद ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने भी उद्गार व्यक्त किये ।

18. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई।)

रात्रि 7.22 बजे, विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा